रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 482] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 2, 2008/भाद्र 11, 1930
No. 482] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 2, 2008/BHADRA 11, 1930

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2008

सं. 48/2008-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 634(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आने वाले ऐसे सभी माल को, जो बिहार राज्य में बाढ़ से प्रभावित लोगों की राहत और पुनर्वास के लिये दान में दिया गया है या नकदी दान से क्रय किया गया है, उपरोक्त वर्णित दोनों अधिनियमों के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से *निम्नलिखित* शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है, अर्थात:—

(i) ऐसे माल के विनिर्माता द्वारा सुसंगत निकासी दस्तावेजों पर यह प्रमाणित किया जाता है कि माल उक्त राज्य में बाढ़ से प्रभावित लोगों की राहत एवं पुनर्वास के लिये दान में दिये जाने के लिये आशयित है तथा उस पर कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा;

(ii) माल सीधे विनिर्माता के कारखाने या भंडागार से यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, बिहार सरकार या जैसा मामला हो, केन्द्रीय सरकार या बिहार सरकार के राहत अभिकरणों जिनके अंतर्गत सरकार द्वारा सम्यक रूप से *अनुमोदित* राहत *अभिकरण* भी है, भेजा जाता है; और

(iii) विनिर्माता माल की निकासी की तारीख से छः मास के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो उक्त अधिकारी अनुज्ञात करें, जो अधिकारिता रखने वाला, यथास्थिति उप-आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क या सहायक आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के समक्ष बिहार राज्य के प्रभावित क्षेत्रों के जिला मजिस्ट्रेट का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है कि माल पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये उपयोग के लिए दान में दिया गया है।

2. यह अधिसूचना तारीख 28 फरवरी, 2009 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, प्रवृत रहेगी।

[फा. सं. 341/77/2008-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2008

No. 48/2008-Central Excise

G.S.R. 634(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all goods falling under the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) donated or purchased out of cash donations, for the relief and rehabilitation of the people affected by the floods in the State of Bihar from the duty of excise leviable thereon under the above mentioned Act, subject to the following conditions, namely :—

(i) that it is certified by the manufacturer of such goods on the relevant clearance documents that the goods are intended to be donated for the relief and rehabilitation of the people affected by the floods in the said State without making any charge therefore;

(ii) that the goods are sent directly from the factory of the manufacturer or warehouse to the Central Government, the Government of Bihar; or as the case may be, the relief agencies of the Central Government, the Government of Bihar including the relief agencies duly approved by the Government; and

(iii) that the manufacturer produces before the jurisdictional Deputy Commissioner or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, within six months from the date of removal of the goods or within such extended period as the said officer may allow, a certificate from the District Magistrate of the effected area in the State of Bihar that the said goods have been donated for use for the aforesaid purpose.

2. This notification shall remain in force up to and inclusive of the 28th February, 2009.

[F. No. 341/77/2008-TRU]
SONAL BAJAJ, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2008

सं. 101/2008-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 635(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अंतर्गत आने वाले सभी माल को जब उनका भारत में आयात किया जाता है और जो बिहार राज्य में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए दान में दिये जाने के लिये आशयित हैं—

(क) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमाशुल्क; और

(ख) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है; अर्थात:-

(i) ऐसे माल के आयातकर्ताओं द्वारा सुसंगत निकासी दस्तावेजों पर यह प्रमाणित किया जाता है कि माल उक्त राज्य में बाढ़ से प्रभावित लोगों की राहत और पुनर्वास के लिये दान में दिये जाने के लिये आशयित है तथा उस पर कोई प्रभार नहीं लिया जायेगा;

(ii) उक्त आयातित माल यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, बिहार सरकार या केन्द्रीय सरकार, बिहार सरकार के राहत अभिकरणों को जिनके अंतर्गत सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित राहत अभिकरण भी हैं, भेजा जाता है; और

(iii) आयातकर्ता, उक्त माल के आयात किये जाने की तारीख से छः मास के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो उक्त अधिकारी अनुज्ञात करें जो अधिकारिता रखने वाला, यथास्थिति उप-आयुक्त सीमाशुल्क या सहायक आयुक्त सीमाशुल्क के समक्ष बिहार राज्य के प्रभावित क्षेत्रों के जिला मजिस्ट्रेट का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है कि माल पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये उपयोग के लिए दान में दिया गया है ।

यह अधिसूचना तारीख 28 फरवरी, 2009 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, प्रवृत्त रहेगी ।

[फा. सं. 341/77/2008-टीआरयू]
एस. बजाज, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2008

No. 101/2008-Customs

G.S.R. 635(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all goods falling under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) when imported into India and intended for donation for the relief and rehabilitation of the people affected by the floods in the State of Bihar from—

(a) the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the said Customs Tariff Act; and

(b) the whole of additional duty of customs leviable thereon under the Section 3 of the said Customs Tariff Act,

subject to the following conditions, namely:—

(i) that it is certified by the importer on the relevant clearance documents that the goods are intended to be donated for the relief and rehabilitation of the people affected by the floods in the said State without making any charge therefor;

(ii) that the said imported goods are sent to the Central Government, the Government of Bihar; or as the case may be, the relief agencies of the Central Government , the Government of Bihar including the relief agencies duly approved by the Government for the purpose; and

(iii) that the importer produces before the Deputy Commissioner or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, within six months from the date of importation of the said goods or within such extended period as the said officer may allow, a certificate from the District Magistrate of the affected area in the State of Bihar that the said goods have been donated for use for the aforesaid purpose.

2. This notification shall remain in force up to and inclusive of the 28th February, 2009.

[F. No. 341/77/2008-TRU]
SONAL BAJAJ, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.